

	<p style="text-align: center;"> भारत सरकार / Government of India वित्त मंत्रालय / Ministry of Finance राजस्व विभाग / Department of Revenue कार्यालय / Office of the मुख्य आयुक्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, नागपुर क्षेत्र Chief Commissioner of Central Indirect Taxes & Customs, Nagpur Zone जी. एस. टी. भवन, तेलंगखेड़ी मार्ग / G.S.T. Bhawan, Telangkhedi Road सिविल लाइन्स, नागपुर - 440001 / Civil Lines, Nagpur - 440001 Phone: 0712-2555561 E-mail: - ccu-cexngpr@nic.in </p>	
---	---	---

F.No. GCCO/II/(3)/37/2025-ADMN-O/o CC-CGST-ZONE-NAGPUR

Dated: [Date of Digital Signature]

स्थापना आदेश क्रमांक. 37/2025**ESTABLISHMENT ORDER NO. 37/2025**

मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा 2024 के परिणामों के आधार पर अनुशंसित उम्मीदवारों के आवंटन के संबंध में अतिरिक्त आयुक्त (सीसीए), सीजीएसटी भोपाल जोन द्वारा एफ. संख्या II(03)06/सीसीयू/बीजेड/2024 के माध्यम से जारी पत्र दिनांक 25-08-2025 के परिणामस्वरूप, हवलदार के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण और पोस्टिंग तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक आदेशित की जाती है :-

Consequent to letter dated 25-08-2025 issued by the Additional Commissioner (CCA), CGST Bhopal Zone vide F. No. II(03)06/CCU/BZ/2024 regarding allocation of candidate recommended on the basis of results of Multi-Tasking (Non- Technical) Staff and Havaladar (CBIC & CBN) Examination 2024, the following transfer & posting in the grade of Havaladar is hereby ordered with immediate effect and till further orders:-

Sr. No.	Name of the officer (Shri)	Designation	From	To
1	HARVIR	Havaladar	On joining	CCO Nagpur

2. सीजीएसटी नागपुर-I आयुक्तालय से अनुरोध है कि कृपया सुनिश्चित करें कि चरित्र और पूर्ववृत्त, जाति सत्यापन और शैक्षिक सत्यापन का सत्यापन समय-समय पर डीओपीटी और बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार और अतिरिक्त आयुक्त (सीसीए), भोपाल जोन द्वारा नियुक्ति आदेश संख्या भोपाल जीएसटी & सीएक्स/सीसीओ & सीसीए/हवलदार/95747 दिनांक 25.08.2025 के अनुसार किया जाना चाहिए।

CGST Nagpur-I Commissionerate is requested to kindly ensure that the verification of Character and antecedents, Caste verification and educational verification should be done as per the instructions issued by DoPT and Board from time to time and as per the appointment order No. Bhopal GST & CX/CCO & CCA/HAVALDAR/95747 dated 25.08.2025 by the Additional Commissioner (CCA), Bhopal Zone.

3. इसके अलावा, सीजीएसटी नागपुर-I आयुक्तालय से अनुरोध है कि वह मुख्य आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, भोपाल क्षेत्र, 35-सी, जीएसटी भवन, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल से आवंटित उम्मीदवार के दस्तावेज एकत्र करने के लिए

आयुक्तालय से एक अधिकारी को नियुक्त करें।

Further, CGST Nagpur-I Commissionerate is requested to depute an officer from Commissionerate to collect dossiers of candidate allocated, from Office of the Chief Commissioner, CGST Central Excise & Customs, Bhopal Zone, 35-C, GST Bhawan, Administrative Area, Arera Hills, Bhopal.

4. यह स्थापना आदेश मुख्य आयुक्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, नागपुर क्षेत्र, नागपुर के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This Establishment Order has been issued with the approval of the Chief Commissioner, Central Indirect Taxes & Customs, Nagpur Zone, Nagpur.

(Sharad G. Wankhede)
Assistant Commissioner (CCO)

Copy to:

1. प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी., सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल जोन / मुंबई जोन को, कृपया सूचना हेतु।

The Chief Commissioner, CGST, Customs & Central Excise, Bhopal Zone, for kind information please.

2. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, सी.जी.एस.टी. नागपुर-I, सी.जी.एस.टी. नागपुर-II, लेखा परीक्षा नागपुर, अपील नागपुर, सीमा शुल्क नागपुर कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

The Principal Commissioner/ Commissioner, CGST Nagpur-I, CGST Nagpur-II, Audit Nagpur, Appeals Nagpur, Customs Nagpur for information and necessary action please.

3. मुख्य लेखा अधिकारी, अधीक्षक (सतर्कता), सहायक मुख्य लेखा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, सी.जी.एस.टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर जोन / सी.जी.एस.टी. नागपुर-I, सी.जी.एस.टी. नागपुर-II, लेखा परीक्षा नागपुर, अपील नागपुर, सीमा शुल्क नागपुर कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

The Chief Accounts Officer, Superintendent (Vigilance), Assistant Chief Accounts Officer and Administrative Officer, CGST & Central Excise, Nagpur Zone/ CGST Nagpur-I, CGST Nagpur-II, Audit Nagpur, Appeals Nagpur, Customs Nagpur for information and necessary action please.

4. वेतन एवं लेखा अधिकारी, सी.जी.एस.टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर कृपया सूचना हेतु।

The Pay & Accounts Officer, CGST & Central Excise, Nagpur for information please.

5. संबंधित अधिकारी को, अपने रिकॉर्ड और अनुपालन के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.cgstnagpur.gov.in से आदेश की प्रति डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है।

The individual concerned are advised to download copy of the order from the Official Website www.cgstnagpur.gov.in for his / her records and compliance.

6. अधीक्षक, सिस्टम शाखा, सी. जी. एस. टी. नागपुर-I आयुक्तालय को, आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

The Superintendent, Systems Branch, CGST Nagpur-I Commissionerate, for uploading on Official Website.

7. गार्ड फ़ाइल।

Guard File.